



## प्रेस नोट थाना एत्मादौला जनपद आगरा थाना एत्मादौला द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुये घरों व दुकानों में नकबजनी कर चोरी करने वाले 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से आभूषण व अन्य सामान बरामद....

दिनांक 24.04.2021 को वादी भुवनेश कुमार वर्मा पुत्र स्व० श्री राजेन्द्र प्रसाद निवासी भगवती बाग फाउण्ड्री नगर थाना एत्मादौला जनपद आगरा द्वारा थाना एत्मादौला आगरा पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.04.2021 को वादी अपने मकान पर ताला लगाकर अपनी ससुराल कासगंज गया हुआ था । दिनांक 24.04.2021 को मैं घर लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ था जब अन्दर देखा तो कमरों के ताले भी टूटे हुये व कमरे में सामान बिखरा पडा था । अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरे घर से नकदी व सोने व चाँदी के जेवर चोरी कर ले गये हैं । इस सम्बन्ध में थाना एत्मादौला पर मु०अ०सं० 277 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण व संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु एवं जनपद आगरा में कोविड-19 संक्रमण के बचाव एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार तथा क्षेत्र में चोरी, लूट, डकैती, अवैध शराब की तस्करी करने व परिवहन, निर्माण आदि अपराधों की पूर्ण रोकथाम एवं इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी छत्ता के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी एत्मादौला को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनांक 04.06.2021 को गठित पुलिस टीम थाना क्षेत्र टेडी बगिया में संदिग्ध व्यक्ति वाहन हेतु चैकिंग व गश्त कर रही थी । गश्त के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि थाना क्षेत्र में जो चोरी की घटनाएँ हुयी हैं, उनसे सम्बन्धित अभियुक्त इस समय ईट मण्डी पर बैठकर बंटवारा कर रहे हैं । यदि जल्दी की जाए तो गिरफ्तार किये सकते हैं ।

### पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण :-

मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये बताये स्थान ईट की मण्डी पर पहुँच योजना के अनुसार चारों ओर से घेर घोट करते हुये एक बारगी दबिश देकर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से एक बैग मिला जिसमें चोरी का सामान बरामद हुआ ।

### पूछताछ का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 01. मोनू उर्फ कान्हा 02. अजय 03. अवतार सिंह 04. अनिल व 05. गौरी बताया गया । बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया हम सभी मिलकर रात में ताला लगे मकानों की रैकी कर, उन मकानों से चोरी करते हैं । आज हम चोरी के सामान को बेच कर आये थे और शेष बचे हुये सामान का बंटवारा कर रहे थे । कुछ सामान को हम लोगों ने राह चलते लोगों के बेच दिया । चोरी किये हुये आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड को तोडकर नाली में फेंक दिया व रुपयों को हमने अपने ऊपर जुआ व शराब में खर्च कर लिया है । हम लोग सोने का सामान सुनार रवि वर्मा, जो सती नगर नराइच में रहता है, को बेच कर आये हैं जिसने हमें पैसे लेने के लिये कुछ समय बाद बुलाया है ।



## अभियुक्तगण द्वारा चोरियों से प्राप्त सामान से सम्बन्धित घटनाओं का विवरण :-

**01.** दिनांक 16.05.2021 को वादिया श्रीमती मंसल बेगम द्वारा दी गयी थाना एत्मादौला पर दी गयी तहरीर की दिनांक 14.05.2021 को घर से ताला लगाकर सभी लोग रिश्तेदारी में गये हुये थे लौट कर देखा तो घर के ताले टूटे हुये थे और चोरों द्वारा एक एक्टिवा, ज्वैलरी, गैस सिलेण्डर चोरी कर लिये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना एत्मादौला पर मु0अ0सं0 320/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

**02.** दिनांक 17.04.2021 को वादिया श्रीमती अफसाना बेगम द्वारा थाना एत्मादौला पर दी गयी तहरीर कि दिनांक 16.04.2021 को वादिया अपनेघर पर सो रही थी जब सुबह उठी तो अलमारी में रखे 25000 रुपये, 02 सोने के अंगूठी, सोने की चेन, 01 मंगल सूत्र, 01 टोकस सोना व 02 जोड़ी पायल चाँदी के किन्ही अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये थे इस सम्बन्ध में थाना एत्मादौला पर मु0अ0सं0 262/2021 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

**03.** दिनांक 19.05.2021 को वादी आलोक कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कालिन्दी विहार नराइच द्वारा थाना एत्मादौला आगरा पर तहरीर दी गयी दिनांक 17.05.2021 को प्रार्थी अपने ताऊ जी के देहावसान होने के कारण गाँव चला गया था लौट कर देखा तो किन्ही अज्ञात चोर रात्रि में टट्टर ( जाल ) उखाडकर चोरी कर ले गये हैं । इस सम्बन्ध में थाना एत्मादौला मु0अ0सं0 328/2021 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था।

**04.** दिनांक 26.12.2020 को वादिया श्रीमती विमलेश देवी पत्नी महेश चन्द्र निवासी अशोक विहार कालोनी टेडी बगिया द्वारा थाना एत्मादौला पर तहरीर दी गयी कि 25/26.12.2020 को रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर ताला तोड़कर 01 सोने की चेन 01 सोने की अँगूठी 01 जोड़ी पाजेब, 01 चाँदी की कौंधनी, 25,000 रुपये, 02 एटीएम कार्ड, 01 कीपैड छोटा मोबाइल चोरी कर ले गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना एत्मादौला पर मु0अ0सं0 1076/2020 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त घटनाओं को स्वीकार करते हुये बताया गया कि उपरोक्त बरामद सामान उपरोक्त की गयी चोरियों से सम्बन्धित है एवं सोने का सारा सामान सुनार रवि वर्मा को बेच दिया है तथा एलसीडी तथा गैस सिलेण्डर मोनू उर्फ कान्हा के घर पर रखे हुये हैं ।

## अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं सामान बरामदगी का विवरण :-

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचे जहाँ पर सुनार रवि वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया एवं उसके द्वारा बताया गया कि ये पाँचों मुझको शाम के समय सामान बेच कर गये थे जिसको लालच में आकर मैंने कम रुपयों में खरीद लिया था एवं पैसे लेने के लिये इनको बाद में बुलाया था । सुनार रवि वर्मा उपरोक्त के कब्जे से 01 अंगूठी लेडीज पीली धातु, 02 लेडीज अंगूठी, 01 चेन, 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 जोड़ी कुण्डल, 01 हार, 02 कंगन पीली धातु, 01 चेन अंगूठी लेडीज, 01 मंगल सूत्र, 01 जोड़ी टोप्स, 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु बरामद हुये । इसके उपरान्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मोनू उर्फ कान्हा उपरोक्त के घर से 02 एलसीडी व 01 गैस सिलेण्डर बरामद किया गया।

विशेष :- सभी वादियों द्वारा मौके पर अपने-अपने माल की पहचान की गयी।



## # गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

01. मोनू उर्फ कान्हा पुत्र रमेश उर्फ पप्पी निवासी कुर्सी वाली फ़ैक्ट्री के पीछे राधा नगर थाना एत्मादौला आगरा
02. अजय पुत्र मुन्ना लाल शर्मा निवासी गुलाब नगर थाना एत्मादौला आगरा स्थाई पता खेडा शिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर
03. अवतार सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी गुलाब नगर थाना एत्मादौला आगरा
04. अनिल पुत्र समुन्द्र सिंह निवासी सौरई थाना खन्दौली आगरा
05. गौरी पुत्र समुन्द्र सिंह निवासी सौरई थाना खन्दौली आगरा
06. रवि वर्मा पुत्र राजेन्द्रवर्मा निवासी सती नगर नरायच थाना एत्मादौला आगरा

## # बरामदगी का विवरण :-

01. 05 अंगूठी लेडीज, 02 चैन , 02 मंगलसूत्र, 01 जोड़ी कुण्डल, 01 हार, 02 कंगन, 01 जोड़ी टोप्स, 01 जोड़ी झुमकी (पीली धातु) ।
02. 01 जोड़ी पाजेब लेडीज, 04 जोड़ी पायल, 18 जोड़ी बिछिया, 01 जोड़ी बच्चे के हाथ के कडे, 04 जोड़ी बिछुए ( सफेद धातु ) ।
03. 01 गैस सिलेण्डर, 02 एलसीडी विभिन्न कम्पनी ।
04. 2000 रुपये ।

## # गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 262 / 2021 धारा 380 भादवि थाना एत्मादौला आगरा ।
02. मु0अ0सं0 262 / 2021 धारा 380 भादवि थाना एत्मादौला आगरा ।
03. मु0अ0सं0 328 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि थाना एत्मादौला आगरा ।
04. मु0अ0सं0 1076 / 2020 धारा 457 / 380 भादवि थाना एत्मादौला आगरा ।
05. मु0अ0सं0 277 / 2021 धारा 457 / 380 भादवि थाना एत्मादौला आगरा ।

## # गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण :-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
2. निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद आगरा ।
3. उ0नि0 श्री उमर फारुख थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
4. उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
5. उ0नि0 श्री रोहित आर्य थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
6. उ0नि0 श्री मंयक चौधरी थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
7. उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
8. हे0का0 आदेश त्रिपाठी, हे0का0 प्रशान्त कुमार सर्विलांस टीम जनपद आगरा ।
9. है0कां0 अमर पाल सिंह , कां0 कन्हैया लाल , कां0 लवकुश चौधरी , कां0 सोनू थाना एत्मादौला आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।

